"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010--कार्तिक 28, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008) अनुविभागीय अधिकारी, प्रतापपुर, जिला-सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्रमांक 4091/बी-14-21/2003/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	संचालक, कृषि	तत्संबंधी राज्य	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
2.	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	तत्संबंधी राज्य	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
3.	जिले के समस्त उप संचालक, कृषि	तत्संबंधी जिला	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
4.	जिले के समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, उद्यान.	तत्संबंधी जिला	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.

No./4091/B-14/21/2003/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (11) of Seed (Control) Order, 1983 issued under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government hereby appoints the officer specified in column (2) in the schedule below as licensing Officer to exercise the powers within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)	Purposes (4)
1.	Director of Agriculture	Respective State	Issuing of License for sale of Agriculture Crop Seeds.
2.	Director of Horticulture and Farm Forestry.	Respective State	Issuing of License for Sale of Horticulture Crop Seeds.
3.	All Deputy Director of Agriculture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for sale of Agriculture Crop Seeds.
4.	All Deputy Director of Horticulture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for sale of Horticulture Crop Seeds.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक/4217/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 308/डी-15/116/2003-2004, दिनांक 13-05-2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक "2010" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "01-04-2009 से 31-03-2012" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक/4219/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4217-4218/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 04-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 4th November 2010

No./4217/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Departmental Notification No. 308/D-15/116/2003-2004, dated 13-05-2004, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

For the figure "2010", the figure and words "01-04-2009 to 31-03-2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-31/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी

गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा संचालित बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, 2010 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों को प्रतिवर्ष गणवेश, स्कूल बैग, जूता-मोजा, बेल्ट-टाई एवं परिचय-पत्र वितरण हेतु प्रति बच्चे के मान से रुपये 1,000/- का आवंटन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा जिला कलेक्टर को किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) इस योजना का लाभ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चे जो प्रदेश के किसी भी जिले में हो, को प्रदाय किया जावेगा.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) परियोजना वाले जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं बाल श्रम परियोजना के परियोजना संचालक के अनुमोदन पर योजना का लाभ दिया जावेगा. योजना का पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर एवं परियोजना संचालक करेंगे.

(द) **योजना हेतु सामग्री क्रय करने हेतु क्रय समिति :—**क्रय समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

(i) कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि,

(ii) बाल श्रम परियोजना के परियोजना संचालक,

(iii) स्थानीय श्रम अधिकारी,

(iv) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक शासकीय अधिकारी.

(य) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को ईद-उल-जुहा त्यौहार एवं अति आवश्यक कार्य से भोपाल जाने हेतु दिनांक 15-11-2010 से 27-11-2010 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13, 14-11-2010 एवं 28-11-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने एवं उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री जे. पी. पड़वार, अतिरिक्त संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. अवकाश के लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 1/17/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामनिवास, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छ. स. बल/नक्सल/अभियान/एसटीएफ, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को सपत्निक खंड वर्ष 2010-11 के अंतर्गत गृह नगर दिल्ली जाने के लिए दिनांक 29-11-2010 से दिनांक 10-12-2010 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 28-11-2010 एवं दिनांक 11-12-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का उपभोग करते हुए अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री रामनिवास, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री रामनिवास, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छ. स. बल/नक्सल/अभियान/एसटीएफ, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामनिवास, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छ. स. बल/नक्सल/अभियान/एसटीएफ, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-87/2010/गृह-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-09-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिलिपि के सरल क्र. 3 एवं 4 में "जिला राजनांदगांव" के स्थान पर "जिला कांकेर" पढ़ा जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्र. 12149/2908/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुदर्शन महलवार, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए दुर्ग, जिला दुर्ग हेतु लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 25-6/2010/नौ/55.—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्र. 37 सन् 1954) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को संपूर्ण छत्तीसगढ़, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत, केन्टोनमेंट एरिया एवं अन्य नोटिफाइड एरिया सम्मिलित है, के लिये लोक विश्लेषक नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 25-6/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 नवम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 2nd November 2010

No. F 25-6/2010/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954), the State Government hereby appoints Shri Akhilesh Kumar Shrivastava to be the Public Analyst for the whole of Chhattisgarh which includes Nagar Nigam, Nagar Palik, Nagar Panchayat, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat, Contonement Area and any other notified areas.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-37/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2008 में

निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-03 पर दर्शित अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय) का वेतनमान रुपये 5000-8000/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-15 पर दर्शित वरिष्ठ तकनीकी सहायक का वेतनमान रुपये 5000-8000/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-29 पर दर्शित सर्वेयर (जिला कार्यालय) का वेतनमान रुपये 3050-4590/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-37/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-37/2007/12, दिनांक 29-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 29th October 2010

No. F 1-37/2007/12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India. The Governor of Chhattisgarh hereby amend the Chhattisgarh Geology and Mining, Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

The pay scale Rs. 5000-8000 of Superintendent (Regional Office) mentioned in Serial No. 3 of the Schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

The pay scale Rs. 5000-8000 of Senior Technical Assistant mentioned in Serial No. 15 of the schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

The pay scale Rs. 3050-4590 of surveyor (District office) mentioned in Serial No. 29 of the schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-38/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ (भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती) नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-01 पर दर्शित सहायक खनि अधिकारी का कालम 5 में दर्शित वेतनमान रुपये 5500-9000/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-02 पर दर्शित खनि निरीक्षक का कालम 5 में दर्शित वेतनमान रुपये 4500-7000/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-38/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/12, दिनांक 29-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 29th October 2010.

No. F 1-38/2007/12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India. The Governor of Chhattisgarh hereby amend the Chhattisgarh (Class-III Executive Geology and Mining, Services, Recruitment) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

The pay scale Rs. 5500-9000 of Assistant Mining Officer mentioned in Column No. 5 of Serial No.1 of the Schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

The pay scale Rs. 4500-7000 of Mining Inspector mentioned in Colum No. 5 of Serial No. 2 of the Schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 20-106/2009/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14" के परिशिष्ट-4 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2009 से प्रभावशील "छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम-2009" निम्नानुसार लागू करता है :—

1 **परिचय :—**

राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की गुणवत्ता बढ़ाने व उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना (आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या इनके समान राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण) बनायी गयी है।

2— **नियम :—**

ये नियम **"छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2009"** कहे जायेंगे ।

3— **प्रभावशील तिथि :—**

ये नियम **दिनांक 01.11.2009** से प्रभावशील होंगे ।

4.— **परिभाषाएं :—**

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में अधिसूचित की गई है।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है —लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

5— **पात्रता :—**

(1) औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उपाबंध–2 में दर्शाये गये

उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 – 18000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण करवाने पर इस अनुदान की पात्रता होगी।

(2) औद्योगिक नीति 2009–14 के लागू होने के पूर्व जिन विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया है किन्तु गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या समान राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी बशर्ते कि औद्योगिक नीति 2004–09 की निगेटिव लिस्ट में सम्मिलित न हो ।

(3) भारत शासन/राज्य शासन या अन्य राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था/बोर्ड/आयोग द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4) उद्योग में "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" प्राप्त करने की दिनांक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक में से जो भी पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही इस अनुदान की पात्रता होगी।

(5) औद्योगिक इकाई ने यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अथवा किसी अन्य मंत्रालय/वित्तीय संस्था/बैंक से गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(6) गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सम्मिलित समस्त प्रमाणीकरण प्रमाण पत्रों पर पृथक–पृथक अनुदान की पात्रता होगी।

(7) औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें भी औद्योगिक नीति 2009–2014 के अर्न्तगत (उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन यह अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(8) गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही इस अनुदान की पात्रता होगी ।

(9) औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन–लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर सामान्य उद्योगों की भांति अधिकतम सीमा के अधीन इस अनुदान की पात्रता होगी ।

6. अनुदान की मात्रा:–

आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण करवाने पर सामान्य वर्ग के

उद्यमियों को किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय तथा शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशकों को किये गये व्यय का 55 प्रतिशत एवं महिला उद्यमी/सेवानिवृत्त सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों/विकलांग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।

इस अनुदान की अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु ₹ 1.00 लाख, अप्रवासी भारतीय एवं शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशकों हेतु ₹ 1.05 लाख एवं विकलांग/महिला उद्यमी/सेवानिवृत्त सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों हेतु ₹ 1.10 लाख तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु ₹ 1.25 लाख (प्रत्येक प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र के लिये) हेतु होगी।

गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मिलित है– आवेदन शुल्क/अंकेक्षण शुल्क/निर्धारण शुल्क/वार्षिक शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय। अनुत्पादक व्यय जैसे यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का व्ययों की गणना में समावेश नहीं किया जायेगा।

7. **प्रकिया व अधिकार :–**

7.1– औधोगिक इकाईयों को उपाबंध–1 अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा ।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1 /आई0ई0एम0/औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) निर्धारित प्रारूप में उपाबंध–3 पर चार्टड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।

(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र– आई0एस0ओ0 9000/आई0एस0ओ 14000/आई0एस0ओ 18000 या अन्य समान राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(6) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता से संबंध्रित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(7) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(8) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

7.2– पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध 4 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी।

7.3 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक या अधिसूचना जारी करने की दिनांक में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये प्रथम स्वत्व को यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग– उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की विलम्ब की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब की अवधि के प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जायेंगे ।

7.4– मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण "उपाबंध 5" के अनुसार कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध–6" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जायेगा ।

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रबंधक स्तर के अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अभिमत के साथ सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा। इस तरह से प्राप्त आवेदन पर अपर संचालक उद्योग/संयुक्त संचालक द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 6" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा ।

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख आवश्यक होगा ।

7.5– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने के अनुसार किया जायेगा।।

7.6– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी। अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

7.7– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

7.8– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005 /9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी।

8 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वसुली :–**

8.1– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो इस अनुदान की पूर्ण राशि मथ ब्याज, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी। ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा।

8.2– अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें/ जारी करने के आदेश दे सकें।

8.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है तथा इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो इस अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी ।

8.4– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र/सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

8.5– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो तो अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

9 **अपील / वांद :–**

1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी किन्तु यदि उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग ही प्रमुख सचिव/सचिव हैं तो यह अपील अपर संचालक को की जावेगी। अपर संचालक/संयुक्त संचालक के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग के समक्ष होगी।

2– प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष होगी।

3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क ₹ 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में ₹ 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा। द्वितीय अपील में कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

4— अपील शुल्क का भुगतान "निर्धारित हेड के तहत्" के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा/जमा किया जायेगा ।

5— कोई भी अपील, आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

6— अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब, अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जायेगा ।

10 **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

(1) औद्योगिक इकाई को अनुदान के वितरण के पश्चात समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने पर उपरोक्त कंडिका—8.1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण अनुदान वसूली योग्य होगा।

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्ति के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय का अधिकार होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने पर उपरोक्त कंडिका—8.1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण अनुदान वसूली योग्य होगा।

(3) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 5(4) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने पर उपरोक्त कंडिका—8.1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण अनुदान वसूली योग्य होगा।

11 **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा ।

12 **कार्यकारी निर्देश :**

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

13 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

15 <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 412/सी.एन. 29984/बजट–5/वित्त/चार 2010 दिनांक 13.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

उपाबंध—1

(नियम 5.1)

(छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता —
दूरभाष — मोबाईल— फैक्स —

2— फैक्ट्री स्थल—
स्थान —
विकास खंड —
जिला —

3— ई0एम0पार्ट—1 एवं ई0एम0पार्ट—2 कमांक

4— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक—
4.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं
4.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
4.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) —

5— गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण—

6— गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु किया गया व्यय—

7— क्लेम राशि

8— **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स				
योग				

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

शपथ पत्र

मै.. आत्मज.................................. प्रबंध संचालक / सचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................... में स्थित है व ई0एम0पार्ट–1 कमांक ....दिनांक ....एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक.................. ....दिनांक .... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................. दिनांक .... है, निम्नानुसार शपथ पूर्वक घो णा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई ....द्वारा आई0एस0ओ0–9000 / आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या...... .... प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार /राज्य शासन/ वित्तीय संस्थाओं /बैंकों की किसी योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं किया है

3– औद्योगिक इकाई द्वारा आई0एस0ओ0–9000 / आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही किया जायेगा ।

4– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" प्राप्त करने के दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल, कुशल एवं प्रशासकीय/प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित ब्याज के वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व
पता
सील

"उपाबंध–3"

(नियम 5.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर, मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री................ ... में स्थित है, जिसका ई0एम0पार्ट–1 कमांक ....दिनांक ....एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक..............................दिनांक ....एवं/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................. है, ने गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र .... प्राप्त किया है जिस पर दिनांक..........................तक किया गया व्यय रूपये.................................(अक्षरों में)........................... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है

क0	विवरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किया गया व्यय	प्रमाणन एजेंसी/ संस्था जिसे भुगतान किया गया है	व्यय की गई राशि	भुगतान की गयी राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन ुल्क			
2	अंकेक्षण ुल्क			
3	लायसेंस ुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय.			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति शुल्क			
7	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्ष्र
मेम्बरशिप कमांक

"उपाबंध–4"

(नियम 5.2)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

मेसर्स .... पता............................... .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण** अनुदान **नियम 2009** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक...................... (अक्षरी).. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भवि य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

"उपाबंध 5"

(नियम 5.4)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता —

2— फैक्ट्री स्थल —

स्थान —

विकास खंड —

जिला —

3— ई0एम0पार्ट—1 क्रमांक ....दिनांक ....एवं
ई0एम0पार्ट—2 क्रमांक............................दिनांक .... /

4— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—

4.1 उत्पाद

4.2 वार्षिक उत्पादन क्षमता

4.3 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —

4.4 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) —

5— गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी विवरण—

6— उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद हैं ।

7— **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स				
योग				

2

8— औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणीकरण .... पर की गई व्यय राशि ....में रू.................... मान्य है । अमान्य की गई राशि............... है व उसके कारण निम्नानुसार है :—

1—

2—

3—

4—

9— अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर
नाम

स्थान :
दिनांक

पद

उपाबंध–6
(नियम 5.4)
गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... के अन्तर्गत)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2009** के नियम क्रमांक "5.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (आई0एस0 9000 / आई0एस0ओ0 14000 / आई0एस0ओ0 18000 या ....**) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का संगठन

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किया गया अनुमोदित व्यय

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –
मांग संख्या– ....

....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जायेगा ।

अपर संचालक / संयुक्त संचालक /
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 20-108/2009/11/(6).— राज्य शासन एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14" के परिशिष्ट-4 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2009 से "छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम-2009" निम्नानुसार लागू करता है :—

1— **परिचय :—**

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने तथा महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति एव विकलांग वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रकिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2009—14 में "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना" का विस्तार किया गया है ।

2— **नियम :—**

ये नियम " **छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009**" कहे जायेगें ।

3— **प्रभावी दिनांक:—**

ये नियम दिनांक **1.11.2009** से प्रभावी माने जायेंगे ।

4— **परिभाषाऍ :—**

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009—14 के परिशिष्ट—1 में अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है —लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट—1/आई.ई.एम. /औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

5— **पात्रता :—**

(1)– औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग /अप्रवासी भारतीय /शत–प्रतिशत एफडीआई निवेशकों/ महिला उद्यमी/ सेवा निवृत्त सैनिक /नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को "उपाबंध–2" में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर, शेष समस्त नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापना उपरांत होगी ।

(2)– पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये स्वत्व को यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग– उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की विलम्ब की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब की अवधि के प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जायेंगे।

(3)– भारत शासन/ राज्य शासन या अन्य राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था /बोर्ड /आयोग द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4)– उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

(5)– उद्योग स्थापित होने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

(6)– राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग संचालनालय/ छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7)– अन्य स्त्रोतों से यह अनुदान प्राप्त किये जाने पर इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(8)– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2009–2014 के अन्तर्गत (उपाबंध–2 में

दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(9)— औद्योगिक नीति 2009—14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

6— **परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेन्सी :—**

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य व उद्योग विभाग / उद्योग संचालनालय / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की सूची संधारित की जावेगी जिसमें उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर द्वारा ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट भी सम्मिलित होंगे ।

अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नहीं है तथा ऋण न मिलने पर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / उद्योग संचालनालय / छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 पर पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा, ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी ।

7— **प्रक्रिया व अधिकार :—**

7.1 औधोगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध 4" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध—लघु उद्योग पंजीयन / ई0एम0 पार्ट—1 / आई0ई0एम0 / आशय पत्र / औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट—2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) "उपाबंध—3" में निर्धारित प्रारूप पर चाटर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

(4) अनुमोदन प्राप्त प्रोजेक्ट कन्सलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद ।

(5) परियोजना प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति ।

7.2 औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात आवेदन संबंधित जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

7.3 मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 5" के अनुसार स्वत्व का परीक्षण सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर स्वत्व के नियमानुसार होने पर "उपाबंध 5" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जायेगा तथा नियमानुसार न होने

पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में 45 दिवसों की निर्धारित कालावधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा प्रबंधक से स्थल निरीक्षण कराकर अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा तथा इस प्रकरण में निर्णय अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा । प्रकरण नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में 45 दिवसों की निर्धारित कालावधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

निर्धारित अवधि के भीतर क्लेम प्रस्तुत न करने पर स्वत्व निरस्त किया जायेगा ।

7.4 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार किया जायेगा ।

7.5 स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा परियोजना प्रतिवेदन अनुदान मद के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को बजट उपलब्ध होने पर वितरण किया जायेगा ।

7.6 बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जायेगा । अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जावेगी ।

7.7 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

8– परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्राः–

पात्र सामान्य एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत निम्नानुसार मात्रा में परियोजना प्रतिवेदन अनुदान दिया जायेगा :–

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	दर व मात्रा
श्रेणी अ– आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 1.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 1.05 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एव विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 1.10 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को

	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 2.00 लाख)
श्रेणी ब– **आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध– 7 के अनुसार)**	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 3.00 लाख)
	(2)– अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 3.15 लाख)
	(3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एव विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 3.30 लाख)
	(4)–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 4.00 लाख)

9– अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी । यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

(3) अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा । उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा प्रकरण के गुण– दोष के आधार पर इन बिन्दुओ पर निर्णय लिया जा सकेगा । इस शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 5(4) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

10– "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान" की वसूली :–

(1)– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश पारित करने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली होने तक ब्याज देय होगा ।

(2)– अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भविष्य में नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

(3)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

(4)– यदि अनुदान वितरण के पश्चात् 5 वर्षों की समाप्ति के पूर्व उद्योग बन्द हो जाये तो सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

(5)– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पंत्र / विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र / सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र / अप्रवासी भारतीय / शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

11– <u>अपील / वाद :–</u>

1– मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग, उद्योग सचालनालय को की जा सकेगी किन्तु यदि उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग ही प्रमुख सचिव / सचिव हैं तो यह अपील अपर संचालक को की जावेगी । अपर संचालक के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग को की जा सकेगी ।

2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

4– अपील शुल्क का भुगतान "निर्धारित हेड" के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व / अपील निरस्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा / जमा किया जायेगा ।

5– कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

6– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय

अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जायेगा ।

12— **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा ।

13— **कार्यकारी निर्देश :—**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

14— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा मे राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

16— **योजना का क्रियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 406/सी.एन. 29978/बजट–5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

उपाबंध—1
(नियम 7.1)
छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम—2009 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2— उद्योग का संगठन—
3— उद्यमी का वर्ग—
4— फैक्ट्री स्थल —
स्थान
विकास खंड
जिला
5— ई0एम0पार्ट—1 एवं ई0एम0पार्ट—2 कमांक व दिनांक
6— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक —
6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता
6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
6.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) —
7— परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी—
अ— अनुमोदन प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा अनुमोदन पत्र क्रमांक जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है
ब— प्रोजेक्ट कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि
स— क्लेम राशि
द— कंसल्टेंट द्वारा दर्शाई गई सकल पूंजीगत लागत
8— रोजगार

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स				
योग				

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2

// शपथ पत्र //

मै....................................... आत्मज.............................. प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई.. जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री................... में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट-1 कमांक ...., ई0एम0 पार्ट-2 कमांक .... / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक...................................... है निम्नानुसार घोषणा करता हूं :-

1- उपरोक्त पंजीकरण /प्रमाण पत्र के द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग हेतु मैंने राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ उद्योग संचालनालय/ छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट ....से .... उद्योग की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इसका रूपये ....(अक्षरों में) रू.. का भुगतान किया गया है ।

2- औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/अन्य किसी राज्य शासन के किसी विभाग /निगम/मंडल/बोर्ड/आयोग/वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/अन्य किसी राज्य शासन के विभाग /निगम /मंडल/बोर्ड/आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

3- यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानो का पालन किया जायेगा ।

4- यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5- उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण /मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

स्थान :

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध– 2

औद्योगिक नीति 2009–14 का परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

******

टीपः– **संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।**

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

उपाबंध–3
(नियम 7.1 (3)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................में स्थित है व जिसका ई0एम0 पार्ट–1 का कमांक ...., ई0एम0 पार्ट–2कमांक ....एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक.. है, ने परियोजना प्रतिवेदन, कन्सलटेन्ट...से तैयार करवाया है जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक...............................तक किया गया व्यय रूपये.................................(अक्षरों में)........................... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :–

क0	विवरण परियोजना प्रतिवेदन एजेन्सी का नाम एवं परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु	परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	योग		

स्थान
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील

हस्ताक्षर
मान्यता पत्र क्रमांक

"उपाबंध–4"
(नियम 7.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..................................

मेसर्स .... पता.................................. .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

प्रति,
मेसर्स..
....
....

"उपाबंध 5"
(नियम 7.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्योग का संगठन–
3– उद्यमी का वर्ग–

4– फैक्ट्री स्थल –
स्थान
विकास खंड
जिला

5– ई0एम0 पार्ट–1 का विवरण एवं दिनांक

6– ई0एम0 पार्ट–2 का विवरण एवं दिनांक

7– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण एवं दिनांक

8– स्थायी पूंजी निवेश (रू0 लाखों में)

9– परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी–
अ– अनुमोदित प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा अनुमोदन क्रमांक – जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है

ब– कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि

स– क्लेम राशि

द– कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई गई सकल पूंजीगत लागत

10– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है

11— रोजगार संबंधी टीप

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
3	प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
	महायोग					

12— औद्योगिक इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में हुये .... व्यय राशि में ....रू. मान्य है व अमान्य की गई राशि रू0.......................है जिसके कारण निम्नानुसार है :—

1—

2—

3—

4—

13— अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम

दिनांक:

पद

उपाबंध– 6

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

1– जिला–रायपुर

विकास खण्ड–धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाठापारा, पलारी ।

2– जिला–बिलासपुर

विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।

3– जिला–दुर्ग

विकास खंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।

4– जिला–राजनांदगांव

विकास खंड – राजनांदगांव।

5– जिला– महासमुंद

विकास खंड– महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली।

6– जिला–धमतरी

विकास खण्ड– धमतरी, कुरूद, ।

7– जिला– कबीरधाम

विकास खण्ड– कवर्धा।

8– जिला– जांजगीर–चांपा

विकास खण्ड– डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा।

9– जिला– रायगढ़

विकास खण्ड– रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।

10– जिला– कोरबा

विकास खण्ड– कोरबा, कटघोरा ।

उपाबंध– 7

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड

2– दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़, एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड ।

3– राजनांदगांव जिला – अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड।

4– रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।

5– धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।

6– रायगढ़ जिला– धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।

7– बिलासपुर जिला– गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।

8– महासमुंद जिला– बसना एवं पिथौरा विकासखंड।

9– कबीरधाम जिला– पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।

10– जांजगीर–चांपा जिला– मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।

11– कोरबा जिला– करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।

उपाबंध–8
(नियम 7.3)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / उद्योग संचालनालय

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009** के नियम **कमांक "7.3"** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन / विस्तार) :

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय–

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जायेगा ।

मुख्य. महप्रबंधक / महाप्रबंधक /
अपर संचालक / संयुक्त संचालक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 20-109/2009/11/(6).— राज्य शासन एतदद्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14" के परिशिष्ट-4 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2009 से "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2009" निम्नानुसार लागू करता है :—

1— परिचयः—

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, विकलांग वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु पूर्व औद्योगिक नीति की "ब्याज अनुदान योजना" में संशोधन कर विस्तार किया गया है।

2— नियम :—

ये नियम **"छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम— 2009"** कहे जायेंगे ।

3— प्रभावशील तिथि :—

ये नियम **दिनांक 01.11.2009** से प्रभावशील होंगे ।

4— परिभाषाएं :—

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009—14 के परिशिष्ट—1 में अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है –लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. /औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

5– पात्रता :–

5.1–औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि में अर्थात दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "उपाबंध 2" मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर शेष नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/बैंक को भुगतान किये गये ब्याज पर अनुदान की पात्रता होगी।

5.2–विद्यमान उद्योगों को औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि में अर्थात दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक "उपाबंध 2" मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन कर संबंधित उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर इसके लिये उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये सावधि ऋण पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/ बैंक को भुगतान किये गये ब्याज पर अनुदान की पात्रता होगी ।

5.3–भारत शासन/राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/ मंडलों/संस्थाओं/बोर्ड द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

5.4–इस अनुदान की पात्रता के लिये यह आवश्यक है कि संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता होने की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो।

5.5–ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से एक बर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आगामी किसी भी त्रैमास/छः माही का स्वत्व अगले एक त्रैमास /छः माही, जो लागू हो, के भीतर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये प्रथम स्वत्व तथा आगामी स्वत्वों को यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग– उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की विलम्ब की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब की अवधि के प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जायेंगे ।

5.6—भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों / संस्थाओं / बोर्ड की स्वरोजगार योजनाओं अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पोषण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो ।

5.7—औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2009–2014 के अन्तर्गत (उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

5.8—यदि भारत शासन/ राज्य शासन या इसके किसी निगम/ बोर्ड /मंडल /आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से ब्याज अनुदान प्राप्त करने पर इस अधिसूचना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

5.9—औद्योगिक नीति 2004–09 के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जो निगेटिव लिस्ट में हैं जिनका उद्योग 31 अक्टूबर 2009 तक की स्थिति में विद्यमान रहा है व औद्योगिक नीति 2009–14 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है ऐसे विद्यमान उद्योगों को विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन पर इस अनुदान की पात्रता होगी ।

5.10—औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भांति निर्धारित दर के आधार पर अधिकत्तम सीमा के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

5.11—प्राथमिकता उद्योगों की पात्रता हेतु यह आवश्यक होगा कि उनमें प्राथमिकता उद्योगों के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचना के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश प्लांट एवं मशीनरी में किया गया हो ।

6— अनुदान की मात्रा :—

6.1 पात्र सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा—

1.1 नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग —

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ— आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध— 6 के अनुसार)	(1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख वार्षिक) (2)— अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0	(1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 15.00 लाख वार्षिक) (2)— अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ– आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.50 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 11.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख वार्षिक)	निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 15.75 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 16.50 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख वार्षिक)
श्रेणी ब– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध– 7 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 21.00 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 22.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 30.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 31.50 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 33.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक)	कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 50.00 लाख वार्षिक)

1.2— विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विस्तार

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के विस्तार प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में विस्तार करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही विस्तार करने पर प्राप्त होगी ।

1.3— विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का शवलीकरण

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के **शवलीकरण** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **शवलीकरण** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **शवलीकरण** करने पर प्राप्त होगी ।

1.4— विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन —

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन प्रकरणों में इस प्रयोजन हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी।

विद्यमान उद्योगों के **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **बेकवर्ड इंटीग्रेशन** एवं **फारवर्ड इंटीग्रेशन** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं

नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करने पर प्राप्त होगी ।

1.5– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उपरोक्तानुसार (विस्तार, शवलीकरण, फारवर्ड इंटीग्रेशन, बेकवर्ड इंटीग्रेशन) प्रकरणों में यदि योजना की कालावधि में पृथक–पृथक / एक साथ सावधि ऋण लिया जाता है तो अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में नवीन उद्योगों हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं दी जावेगी।

2.1– नवीन मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ– आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.50 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 11.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख वार्षिक)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 21.00 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 22.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक)
श्रेणी ब– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध– 7 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय /	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय /

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 26.25 लाख वार्षिक)	शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 42.00 लाख वार्षिक)
	(3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 27.50 लाख वार्षिक)	(3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 44.00 लाख वार्षिक)
	(4)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक)	(4)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 60.00 लाख वार्षिक)

2.2—**विद्यमान मध्यम उद्योगों का विस्तार**

विद्यमान मध्यम उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के विस्तार प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में विस्तार करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही विस्तार करने पर प्राप्त होगी ।

2.3—**विद्यमान मध्यम उद्योगों का शवलीकरण**

विद्यमान मध्यम उद्योगों के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के **शवलीकरण** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह

अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **शवलीकरण** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **शवलीकरण** करने पर प्राप्त होगी ।

2.4—विद्यमान मध्यम उद्योगों का बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन—

विद्यमान मध्यम उद्योग के बेकवर्ड इंटीग्रेशनएवं फारवर्ड इंटीग्रेशन प्रकरणों में इस प्रयोजन हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी।

विद्यमान उद्योगों के **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009--14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करने पर प्राप्त होगी ।

2.5— विद्यमान मध्यम उद्योगों के उपरोक्तानुसार (विस्तार, शवलीकरण, फारवर्ड इंटीग्रेशन, बेकवर्ड इंटीग्रेशन) प्रकरणों में यदि योजना की कालावधि में पृथक—पृथक/ एक साथ सावधि ऋण लिया जाता है तो अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका अनुसार नवीन उद्योगों हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं दी जावेगी।

6.2— इस अनुदान की गणना अवधि नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन की योजनाओं पर स्वीकृत सावधि ऋण के ऋण वितरण की प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.3— अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

6.4— यदि किसी त्रैमास/छैःमास, जो लागू हो, में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था/बैंक द्वारा **"ऋण न चुकाने वाला"** (Defaulter) माना जाता है तो उस त्रैमास/ छःमास में ब्याज अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी त्रैमास/छैःमास में **"एक बार ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter)** हो जाने पर उस त्रैमास/छैःमास के ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में, पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए। इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

7— <u>प्रक्रिया व अधिकार :—</u>

7.1— पात्र औद्योगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के **प्रकरणों में एक प्रति में एवं** मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में दो प्रतियों में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध –4" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(1) वैध–लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुमति एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज ।

(3) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(4) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(7) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र ।

(8) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास / छःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में "ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

7.2– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर तथा सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत तथा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात त्रैमासिक/ छः माही आधार पर संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत कियां जायेगा। प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया त्रैमासिक/छःमाही आधार पर स्वत्व आगामी पात्रता अवधि में भी यथास्थिति त्रैमासिक/छःमाही आधार पर ही प्रस्तुत करना होगा । (स्वीकृतकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि आवेदन के पूर्ण होने पर पूर्ण आवेदन पत्रों को उनके क्रम में स्वीकृति/ अस्वीकृति की कार्यवाही करें)

7.3– मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण "उपाबंध 5" के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन व परीक्षण करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 8" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में महाप्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत/अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा जिस पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 8" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा ।

7.4– स्वत्व के नियमानुसार न होने पर यथास्थिति मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित अवधि 45 दिवसों के भीतर सक्षम अधिकारी को अपील करने के प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

7.5– उद्योग संचालनालय द्वारा ब्याज अनुदान के बजट का आवंटन ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

7.6– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

7.7– स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

7.8– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

7.9– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

7.10–राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा–रा/ 2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के द्वारा किया जायेगा।

8– <u>"ब्याज अनुदान" की वसूली–</u>

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई /बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई/बैंक/वित्तीय संस्था या दोनों से की जा सकेगी । यह राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । वसूली योग्य मूल राशि पर वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

8.2– उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग –उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समोजित की जा सकेगी, यदि दे दी गयी हो ।

8.4– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/ विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र/ सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी भारतीय/ शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

9– **अपील /वाद –**

9.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी किन्तु यदि उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग ही प्रमुख सचिव/सचिव हैं तो यह अपील अपर संचालक को की जावेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

9.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा/जमा किया जायेगा ।

9.5– कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

9.6– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।

9.7— यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र / विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र / सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी।

9.8— उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न देने पर सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

9.9— यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो तो सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा।

9.10— यदि किसी न्यायालय द्वारा उद्योग को बंद करने का आदेश पारित किया गया हो तो सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा।

9.11— उपर्युक्त बिन्दु 9.1 से 9.10 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण / अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश, जिला / राज्य स्तरीय समिति की ओर से क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

10 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने ₹ 10 लाख वार्षिक से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन / विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। ₹10 लाख वार्षिक से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

(3) ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा । उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय का अधिकार होगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

11— **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें, स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा ।

12— योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं ब्याज अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

13— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

15— **योजना का क्रियान्वयन**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा ।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 407/सी.एन. 29976/बजट–5/वित्त/चार 2010, दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

"उपाबंध– 1"

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

कुल पात्रता अवधि .... से .... तक वर्तमान क्लेम, अवधि.............. से .... तक

क्र0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उद्यमी का वर्ग 3 ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस का विवरण 4 ई0एम0 पार्ट–2 का विवरण 5 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण अ–उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता ब– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक स–स्थायी पूंजी निवेश द– कुल रोजगार 6 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	नवीन उद्योग / विद्यमान उद्योग का विस्तार/ शवलीकरण/ वेकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन	ऋण का विवरण				
			स्वीकृति			वितरण	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक .... तक
			सावधि ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण		वित्त पोषित संस्था को देय राशि का विवरण			औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है				क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	
			राशि	दिनांक						
अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग			1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग	राशि	दिनांक	अनुदान की दर	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का % अनुदान	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कुल रोजगार				
श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
20	21	23	25	27
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग				
प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग				
महायोग				

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
वित्तीय संस्था का नाम व पता
दिनांक

टीप— आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

प्ररूप -1

शपथ पत्र

1— यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जायेगा ।

2— प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि .... में मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है / भुगतान अनियमित है / भुगतान हेतु स्थगन दिया गया है ।

3— यह भी शपथ पूर्वक घोषित किया जाता है कि ब्याज अनुदान का क्लेम केवल सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज पर किया गया है । क्लेम में कार्यशील पूंजी पर ब्याज/ विलंब शुल्क/ शास्ती पर ब्याज अनुदान सम्मिलित नहीं हैं ।

4— यह भी शपथ पूर्वक घोषणा की जाती है कि उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम पांच वर्षो तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5— औद्योगिक नीति 2009—14 के अन्तर्गत स्थापित उद्योग सामान्य श्रेणी/ प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग है ।

6— औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को ब्याज अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/ राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को ब्याज अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

7— उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

टीप— आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

उपाबंध– 2

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

******

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित कोर सेक्टर के उद्योग
(जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी)

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

उपाबंध–3

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–3 अनुसार प्राथमिकता उद्योगों की सूची : :

वर्गीकरण के आधार पर –

1 हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
2 आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3 साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
4 प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
5 नॉन फेरस (एल्यूमिनियम सहित) मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
6 भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल को छोड़कर)
7 ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
8 फार्मास्यूटिकल उद्योग
9 व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिक उपभोक्ता उत्पाद
10 सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग एवं आई.टी. एनेबल्ड सर्विसेस, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग
11 सेरी कल्चर, हार्टी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बॉयो फर्टीलाईजर, पिसीकल्चर से संबंधित उद्योग
12 टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
13 लघु वनोपज पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग
14 भारतीय रेल्वे, दूरसंचार, रक्षा, विमानन कंपनियों एवं अंतरिक्ष विभाग को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
15 अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
16 डिफेन्स, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
17 ग्रामोद्योग इकाईयां (ग्रामोद्योग विभाग से अनुमोदित)
18 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जावें

टीप– प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए संबंधित उद्योग में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा ।

उत्पाद आधारित

1 एच0डी0पी0ई0 बैग्स एवं पाईप्स
2 मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग
3 ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
4 स्व–चालित कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स
5 मेटल पावडर

6	बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एव मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
7	लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
8	फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
9	रेडीमेट गारमेन्ट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगो को)
10	सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
11.	100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग
12	बायोडीजल उत्पादन
13	कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फिटिंग
14	वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
15	कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
16	फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग
17	ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप– प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए संबंधित उद्योग में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा ।

***

"उपाबंध–4"
(नियम 7.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..............................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता..
द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009**.. के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.......................
(अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

"उपाबंध–5"
(नियम 7.3)
स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1– औद्योगिक इकाई .... के ब्याज अनुदान क्लेम अवधि .... के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । उद्योग में उत्पादन चालू / बंद है ।

2– उद्योग सामान्य श्रेणी / प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत है एवं उद्योग में कुल स्थायी पूंजी निवेश रू. .... है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश रू0................. है।

3– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
	महायोग					

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप एकल स्वामित्व / साझेदारी / कम्पनी / सहकारी समिति के तहत् है जिसके मुख्य स्वामी / साझेदार / संचालक .... है व यह उद्योग सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग / अप्रवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक / सेवानिवृत्त सैनिक / महिला उद्यमी / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / विकलांग वर्ग द्वारा संचालित है ।

5– नवीन/ विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन संबंधी बिन्दु पर टीप –

6– उद्योग सामान्य उद्योगों की श्रेणी/ प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में होने एवं संतृप्त/ कोर सेक्टर के उद्योगों में नहीं होने बाबत् टीप–

7– अन्य जानकारी जो आवश्यक हो –

8– अनुशंसा /अभिमत

स्थान :–
दिनांक :–

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद

उपाबंध– 6

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

1– जिला–रायपुर

विकास खण्ड–धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाटापारा, पलारी ।

2– जिला–बिलासपुर

विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।

3– जिला–दुर्ग

विकास खंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।

4– जिला–राजनांदगांव

विकास खंड – राजनांदगांव।

5– जिला– महासमुंद

विकास खंड– महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली।

6– जिला–धमतरी

विकास खण्ड– धमतरी, कुरूद, ।

7– जिला– कबीरधाम

विकास खण्ड– कवर्धा।

8– जिला– जांजगीर–चांपा

विकास खण्ड– डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा।

9– जिला– रायगढ़

विकास खण्ड– रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।

10– जिला– कोरबा

विकास खण्ड– कोरबा, कटघोरा ।

उपाबंध– 7

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड

2– दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़, एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड ।

3– राजनांदगांव जिला – अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड।

4– रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।

5– धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।

6– रायगढ़ जिला– धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।

7– बिलासपुर जिला– गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।

8– महासमुंद जिला– बसना एवं पिथौरा विकासखंड।

9– कबीरधाम जिला– पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।

10– जांजगीर–चांपा जिला– मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।

11– कोरबा जिला– करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।

प्रारूप

उपाबंध–8
(नियम 7.3)
ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009 के नियम क्रमांक "7.2" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

क्र0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	उद्योग का स्वरूप नवीन/ विद्यमान उद्योग का विस्तार / शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पोषक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व स्वीकृत राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि.......तक	वर्तमान स्वीकृत स्वत्व	
								अवधि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2– यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी :–

....

....

3– यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग/ मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 20-111/2009/11/(6).— राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में लाने एवं उनके प्रस्तावित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में वित्त पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम निम्नानुसार लागू करता है :—

1 नियम :—

ये नियम **"छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009"** कहे जायेंगे।

2 प्रभावशील होने का दिनांक :—

ये नियम दिनांक 01 नवम्बर 2009 से प्रभावशील माने जायेंगे।

3 परिभाषाऐं :—

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009—14 के परिशिष्ट—1 में अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है —लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट—1/आई.ई.एम /औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

4 पात्रता

4.1— औद्योगिक नीति 2009—14 की कालावधि अर्थात दिनांक 01.11.2009 से 31.10. 2014 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले **"उपाबंध —2"** में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित

किये जाने वाले शेष सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना, जिनकी परियोजना लागत रू. 5 करोड़ तक है, को ही यह अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.2— यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया जाये।

4.3— यदि भारत शासन/राज्य शासन या इसके किसी निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग या वित्तीय संस्था/बैंक से मार्जिन मनी हेतु अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

4.4— उद्योगों की योजना के न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोंतों से करने पर ही इस अनुदान की पात्रता होगी।

5 अनुदान की मात्रा

इस योजना के अन्तर्गत उद्योग की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 35 लाख मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। यह अनुदान औद्योगिक इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6 प्रक्रिया

6.1— औद्योगिक इकाईयों को **"उपाबंध 1"** के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों (जो लागू हो) के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दो प्रतियों में आवेदन देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध —4" में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

(1) वैध ई0एम0 पार्ट—1 /आई0ई0एम0/औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र ।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(3) प्रोजेक्ट प्रोफाइल/ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।

(4) भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघु उद्योग विकास बैंक आदि से पूंजी निवेश/मार्जिन मनी अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र

(5) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित दस्तावेज

(6) स्थानीय निकायों यथा— ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र

(7) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश।

(8) मार्जिन मनी न्यूनतम 5 प्रतिशत की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोंतों से करने संबंधी शपथ पत्र/दस्तावेज।

6.2— मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इस अनुदान योजना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण परियोजना रिपोर्ट, बैंक ऋण स्वीकृति आदेश एवं मार्जिन मनी की न्यूनतम व्यवस्था औद्योगिक इकाई द्वारा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र / दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा तथा अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर प्रकरण जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3— राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164 / औनीप्र / उसंचा–रा / 2005 / 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् की जायेगी।

6.4— जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर यथा स्थिति मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश उपाबंध 5 पर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा। जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा। विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रकरणों की उपलब्धता के अनुसार यथा–संभव प्रत्येक माह की जायेगी।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में राज्य स्तरीय समिति को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति जिम्मेदार होगी। सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा। सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं एवं अभिमत / अनुशंसा के समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

6.5— अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी स्वीकृति दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

6.6— भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट / पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जायेगी।

6.7— बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्त पोषित वित्तीय संस्था / बैंक को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान को राशि दी जायेगी। अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में नकद नहीं दी जायेगी। वित्त पोषित वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा भी उक्त अनुदान की राशि इकाई के ऋण खाते में जमा की जायेगी। वित्त पोषित वित्तीय संस्थान / बैंक किसी भी स्थिति में अनुदान नगद रूप में नहीं देगा।

6.8— उद्योग संचालनालय द्वारा बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

6.9— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

6.10-- बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

6.11— समिति का स्वरूप :—

(अ) जिला स्तरीय समिति :—

(1)	कलेक्टर	**अध्यक्ष**
(2)	अपर संचालक / संयुक्त संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	**उपाध्यक्ष**
(3)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	**सदस्य**
(4)	लीड बैक अधिकारी	**सदस्य**
(5)	जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय / अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग / अन्य शासकीय विभाग में पदस्थ उप संचालक स्तर के अधिकारी जो अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग वर्ग के हो	**सदस्य**
(6)	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	**सदस्य सचिव**

इस समिति का कोरम 4 का होगा ।

(ब) राज्य स्तरीय समिति :—

(1)	उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग	**अध्यक्ष**
(2)	प्रबंध संचालक / कार्यपालक संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0	**सदस्य**
(3)	महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, रायपुर	**सदस्य**
(4)	राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग / अन्य शासकीय विभाग में पदस्थ उप संचालक स्तर के अधिकारी जो अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग का हो	**सदस्य**
(5)	अपर संचालक / संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय	**सदस्य सचिव**

इस समिति का कोरम 3 का होगा ।

(स) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :—

(1) योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वत्वों का संकलित करना, स्वत्वों का परीक्षण करना एवं जिला स्तरीय समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना।

(2) योजना के कियान्वयन हेतु प्रकरणों की उपलब्धता होने पर यथा संभव प्रत्येक माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना व इसका पूरा रिकार्ड रखना।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना।

(4) जिला / राज्य स्तरीय समिति की बैठकों के निर्णयों की जानकारी सर्व संबंधितों को प्रेषित करना ।

(द) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी ।

1— अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना के क्षेत्र तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना।

2— समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के निर्णय का या जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विशेष में स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जायेगा।

3— अधिसूचना के अधीन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति को करना होगा।

4— नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बंद हो जाने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

7 मार्जिन मनी अनुदान के वितरण की प्रक्रिया

(1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में ऋण स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् संबंधित बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मार्जिन मनी अनुदान की मांग की जायेगी।

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत अनुदान की राशि को बैंक को भेजने की व्यवस्था ऋण स्वीकृति हेतु निर्धारित मार्जिन मनी की दर अनुसार ऋण वितरण की किश्तों के अनुसार भेजी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी इकाई के पक्ष में ₹ 1.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत है तथा इस हेतु ₹ 25.00 लाख की मार्जिन मनी औद्योगिक इकाई द्वारा दी जानी है अर्थात् मार्जिन मनी की दर 25 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में ₹ 5.00 लाख आवेदक की मार्जिन होगी तथा यदि ₹ 20.00 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया जा रहा है तो अधिकतम ₹ 4.00 लाख का भुगतान किया जायेगा।

(3) उद्योग स्थापित होने के पश्चात् मार्जिन मनी अनुदान का समायोजन औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्लेम में किया जायेगा।

(4) मार्जिन मनी अनुदान हेतु बजट आबंटन राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/ अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जायेगा।

8 अपील /वाद

(1) जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 45 दिवसों के भीतर औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग को अपील की जा सकेगी।

(2) विलंब से प्राप्त आवेदनों पर/अधिसूचना से संबंधित किसी बिन्दु पर राज्य स्तरीय समिति को प्रकरण के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाने का अधिकार होगा।

(3) राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जायेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन उचित समझा जाये।

(4) राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्णय से असहमत होने पर द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को 45 दिवसों के भीतर की जायेगी जिसका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

9 **मार्जिन मनी अनुदान की वसुली**

निम्न स्थितियों में मार्जिन मनी अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी–

9.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृति/राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

9.2– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.2 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है।

9.3– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है।

9.4– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये।

9.5– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।

9.6– उपर्युक्त बिन्दु 9.1 से 9.5 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश जिला स्तरीय समिति की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

10– **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/ राज्य स्तरीय समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा।

11 योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

12 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

13 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14 योजना का कियान्वयन

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा ।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 405/सी.एन. 29983/बजट–5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

"उपाबंध–1"

(नियम 6.1)

"छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009" के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन प्रारूप)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक –

3– उद्योग का आकार– सूक्ष्म उद्योग/ लघु उद्योग

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन

5– उद्यमी का वर्ग–

6– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थान
2 विकास खण्ड
3 जिला

7– पंजीयन

1– ई0एम0 पार्ट–1/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0

8– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

9– योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0		राशि
(1)	भूमि – अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम/ स– मुद्रांक शुल्क द– पंजीयन शुल्क योग	
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भबन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग	
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) – 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण	

(4)	3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय योग	
(5)	विद्युत आपूर्ति निवेश – अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश योग जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	महायोग	

10– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–
1– स्वंय के स्त्रोत
2– अंश पूंजी
3– ऋण
अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण
ब– बैंकों से ऋण
4– योग

11– रोजगार –

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया जाने वाला रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स				
योग				

12— विद्युत भार—

13— औद्योगिक इकाई के अन्य उद्योगों का विवरण —
1— नाम व पता
2— कारखाना स्थल
अ— ग्राम / नगर
ब— तहसील
स— जिला
द— विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

15— अन्य

टीप— उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जाये, कोई बिन्दु रिक्त न रहें ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

//शपथ पत्र//

1— प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यो को नहीं छुपाया गया है।

2— छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जायेगी वह मुझे स्वीकार है ।

3— यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में अकुशल, कुशल एव प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार न्यूनतम उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष तक मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

4— यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं मार्जिन मनी अनुदान के वितरण की जो प्रक्रिया है वह स्वीकार है, अनुदान मिलने में विलंब /अनुदान अस्वीकृत होने पर विभाग पर कोई दावा नहीं किया जायेगा ।

5— औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग/ निगम/ मंडल/ बोर्ड/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक में मार्जिन मनी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग / निगम/ मंडल/ बोर्ड/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक में मार्जिन मनी अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

7— उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जायेगी ।

स्थान—
दिनांक —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध– 2

औद्योगिक नीति 2009–14 का परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य शासन अथवा अन्य किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

......

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

"उपाबंध–4"
(नियम 6.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..................................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति** वर्ग हेतु **मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक........ .... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

"उपाबंध–5"
(नियम 6.4)
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु** मार्जिन मनी **अनुदान नियम 2009** के नियम क्रमांक "6.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **मार्जिन मनी अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है –

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन) :

3– उद्योग का संगठन– :

4– उद्यमी का वर्ग–

5– उत्पाद व प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता–

6– औद्योगिक इंकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश –

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अंक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

....

....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जायेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/
उद्योग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 20-118/2009/11/(6).— राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने, निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये कार्य को महत्ता प्रदान करने, राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने एवं वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट से संबंधित उद्योगों में औद्योगिक सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009" प्रभावशील करता है.

1— **नाम :—**

(1) इस योजना का नाम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009" है ।

(2) योजना का क्रियान्वित करने वाले नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2— **परिभाषा :—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो **"सूक्ष्म एवं लघु उद्योग"** से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आती हों तथा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध ई0एम0 पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हों ।

वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी एवं निर्यात के संबंध में निर्यातक उद्योग/100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग की वहीं परिभाषाएं मान्य होंगी जो औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-1 में दी गई हैं।

(ब) "राज्य स्तरीय समिति" से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है।

3— **पात्रता :—**

3.1 इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार श्रेणियों में पुरस्कार दिये जायेंगे :—

क्र.	**निवेश के आकार एवं निवेशक के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों का वर्गीकरण**	**विशिष्ट क्षेत्र**
(1)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	सभी गुणों को शामिल करते हुये
(2)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	निर्यात संवर्धन
(3)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	पर्यावरण संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण

क्र.	निवेश के आकार एवं निवेशक के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों का वर्गीकरण	विशिष्ट क्षेत्र
(4)	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	सभी गुणों को शामिल करते हुये
(5)	महिला उद्यमी	महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन
(6)	वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नियमों का पालन

3.2 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों में संबंधित वर्ग के उद्यमी ही भाग ले सकेंगे ।

3.3 किसी भी उद्योग को केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

3.4 किसी एक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त उद्योग को आगामी वर्षों में औद्योगक पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

3.5 पुरस्कारों हेतु उद्योगों को न्यूनतम 02 वर्ष तक उत्पादन में रहना अनिवार्य होगा ।

3.6 संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को पुरस्कारों की पात्रता नहीं होगी ।

4— सम्मान का स्वरूप :—

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उपरोक्त सभी पुरस्कारों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जावेगा जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि ₹ 1,00,000/—, द्वितीय पुरस्कार की राशि ₹ 51,000/— एवं तृतीय पुरस्कार की राशि ₹ 31,000/— होगी । पुरस्कारों के साथ इकाईयों को प्रशस्ति—पत्र भी दिया जायेगा ।

5— राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति निम्नानुसार होगी :—

(1)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
(2)	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के आंचलिक कार्यालय के प्रमुख	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर	सदस्य
(4)	निदेशक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर	सदस्य
(5)	नेशनल स्माल इण्डस्ट्री कार्पोरेशन, रायपुर के प्रमुख	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, कान्फिडिरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	सदस्य
(9)	आयुक्त, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग से संबंधित हो	सदस्य
(10)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि उपरोक्त पुरस्कारों हेतु किन्ही 02 व्यक्तियों, जो वित्त, औद्योगिक प्रबंधन व अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हो, को सदस्य के रूप में मनोनीत करें ।.

6— **चयन के मापदण्ड** :—

मानदण्ड

(1) वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन का अनुपात
(2) निवेश पर लाभ का प्रतिशत
(3) उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं यंत्र संयंत्र रखरखाव
(4) गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पाद विकास
(5) निर्यात और आयात स्थानापन्न
(6) उद्यम का प्रबंधन
(7) कर्मचारी कल्याण
(8) स्थानीय/भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार
(9) पर्यावरण संरक्षण
(10) राज्य के मूल निवासियों को रोजगार संबंधी नियमों का पालन
(11) प्लांट में सुरक्षा हेतु किये गये उपाय
(12) उपभोक्ता संरक्षण हेतु किये गये उपाय
(13) रिस्क फेक्टर
(14) राज्य के लिये नवीन उद्योग

समिति पुरस्कार के क्षेत्र के अनुरूप उपरोक्त मानदण्डों में से पुरस्कार अनुसार मापदण्ड निर्धारित करेगी ।

7— **चयन प्रक्रिया** :—

(1) उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु दिनांक 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे । उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा अपरिहार्य स्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकेगा ।

(2) पुरस्कार हेतु उद्योगों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन आवश्यक सहपत्रों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी एक प्रति आवश्यक जांच पश्चात् जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अभिमत सहित उद्योग संचालनालय को प्रेषित की जावेगी। उद्योग संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन–पत्र राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पुरस्कार हेतु चयन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे । यह समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु उद्योगों का चयन करेगी । समिति यदि आवश्यक समझे तो किसी आवेदक से या उसके संबंध में किसी अन्य स्त्रोत से अतिरिक्त जानकारी /पुष्टि प्राप्त कर सकेगी /स्थल निरीक्षण भी कर सकेगी ।

8— **पुरस्कार की घोषणा** :—

राज्य स्तरीय समिति, चयनित उद्योगों का नाम, उद्योग संचालनालय के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगी । प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत चयनित उद्योगों की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग करेगा ।

9— पुरस्कार समारोह :—

पुरस्कार हेतु एक समारोह का आयोजन किया जावेगा जिसमें चयनित उद्योग के मालिक/ भागीदार/ प्रतिनिधि आमंत्रित किये जायेंगे । मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति—पत्र दिया जावेगा । समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी ।

10— नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा । इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी । ऐसे विषय जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभारी सचिव को होंगे ।

11— वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 404/सी.एन. 29981/बजट—5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक/10603/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मनकी प. ह. नं. 07	1.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के डुबान में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक/10604/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पुरैना प. ह. नं. 07	4.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के डुबान में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक/10605/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मनकी प. ह. नं. 07	0.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मनकी जलाशय के डुबान में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2009-2010.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली प. ह. नं. 06	3.46	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्रमांक/46/अविअ/भू-अर्जन/01 अ/82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	सिरपुर प. ह. नं. 01	1.23	प्रबंधक, छ. ग. पर्यटन मण्डल, रायपुर.	पर्यटन एवं पुरातात्विक मोटल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल [illegible] से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., [illegible] एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकिरण क्र./01/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रेडे प. ह. नं. 28	53.324	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./02/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सराईटोला प. ह. नं. 28	38.597	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./03/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से **(4) में वर्णित** भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने **की संभावना है.** अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी **संबंधित व्यक्तियों** को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त **भूमि के संबंध** में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला प. ह. नं. 25	1.032	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का आर.बी.सी. मुख्य नहर के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./04/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से **(4) में वर्णित भूमि** की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने **की संभावना है.** अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी **संबंधित व्यक्तियों** को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त **भूमि के संबंध में** उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चिकनीपानी प. ह. नं. 29	9.633	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./05/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसकें द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बनगांव "बी" प. ह. नं. 24	3.220	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का एल.बी.सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./06/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सराईटोला प. ह. नं. 28	14.868	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का एल.बी.सी. मुख्य नहर एवं स्पील चेनल के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./07/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	लोकेर प. ह. नं. 25	3.171	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का आर.बी.सी. मुख्य नहर के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./08/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी "बी" प. ह. नं. 26	8.561	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का आर.बी.सी. मुख्य नहर के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./09/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सराईटोला प. ह. नं. 28	1.016	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)	लोकेर जलाशय योजना का आर.बी.सी. मुख्य नहर के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कुटेला प. ह. नं. 21	0.038	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	केडार जलाशय के सब माइनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्रमांक/15559.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-गतवा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-53.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
719/1	0.809
719/2	0.105
719/3	0.142
719/4	0.142
719/5	0.809
719/6	0.109
719/7	0.109
751/1	0.170
751/2	0.170
752/1	0.166
752/2	0.166
753/1	0.057
753/2	0.053
754	0.069
755	0.142
756	0.146
757	0.146
758	0.134
759/1	0.093
759/2	0.093
760	0.105
761/1	0.073
761/2	0.486
762/1	0.065
762/2	0.194
810/1 क	0.036
810/1 ख	0.040
810/1 ग	0.036
810/2	0.097
811/1	0.045
811/2	0.085
812	0.069
813	0.069
814	0.097
815	0.053
816	0.117
817	0.178
818	0.174
819	0.324
820	0.178
821	0.219
822/1	0.065
822/2	0.097
822/3	0.032
823	0.251
824	0.134
825	0.275
826/1	0.077
826/2	0.150
827	0.057
828/1 क, 828/1 ख	0.065
828/2	0.069
829/1	0.134
829/2	0.134
830	0.117
831	0.150
832	0.146
833	0.101
834	0.045
835/1	0.065
835/2	0.061
836	0.065
837	0.065
838	0.194
839	0.174
840	0.198
841	0.105

(1)	(2)
861	0.089
862	0.028
863	0.028
864	0.166
865	0.121
866	0.081
867	0.045
868/1	0.061
868/2	0.061
868/3	0.065
869	0.073
870/1	0.040
870/2	0.040
871/1	0.077
871/2	0.073
871/3	0.073
871/4	0.073
872	0.214
873	0.057
874	0.134
875/1	0.105
875/2	0.105
876/1	0.142
876/2	0.069
876/3	0.069
877	0.162
878/1	0.077
878/2	0.073
879	0.223
880/1	0.085
880/2	0.085
881	0.129
882/1	0.081
882/2	0.081
883/1	0.024
883/2, 884	0.069
885	0.113
886	0.101
887	0.109
888/1	0.138
888/2	0.134
889	0.142
890	0.113
891	0.194
892/1	0.085
892/2	0.089
893	0.352
894, 895	0.210
896/1	0.093
896/2	0.186
897/1	0.109
897/2	0.121
909	0.210
912	0.239
913, 915	0.162
914, 917	0.235
916	0.093
929	0.081
930	0.073
931/1	0.049
931/2	0.045
932	0.036
933/1	0.093
933/2	0.093
934/1, 955/1	0.352
934/2	0.202
935/1	0.081
935/2	0.077
936	0.182
937/1	0.129
937/2	0.380
944	0.170
945	0.113
949/1, 950/1	0.045
949/2 क, 950/2 क	0.101
949/2 ख, 950/2 ख	0.101
949/3, 950/3	0.004
949/4, 950/4	0.101
949/5, 950/5	0.081
949/6, 950/6	0.105
949/7, 950/7	0.101
949/8, 950/8	0.073
949/9, 950/9	0.129
951	0.150
952	0.142
953	0.134
954/1	0.024
954/2	0.198
954/3	0.178
955/2	0.053
955/3	0.057
956	0.202
957/1	0.182

(1)	(2)
958	0.105
959/1	0.101
960/1	0.049
960/2	0.016
961/1	0.045
962/1	0.077
962/2	0.053
963/1	0.012
964/1	0.073
964/2	0.012
965/1	0.085
966/1	0.089
967	0.069
968/1	0.057
968/2	0.061
969	0.061
970	0.356
971/1	0.109
971/2	0.134
971/3	0.148
972/1	0.227
972/2	0.101
973/1	0.162
973/2	0.077
974	0.109
975	0.121
976/2	0.040
977/1	0.429
977/2	0.397
978	0.332
979	0.372
980/1	0.089
980/2	0.085
981	0.081
982	0.097
983/1	0.093
983/2	0.089
984/1	0.587
984/2	0.291
985	0.162
986, 988	0.271
987/1	0.134
987/2	0.134
989/1	0.036
989/2	0.040
990	0.073

(1)	(2)
991	0.170
992/1	0.227
992/2	0.117
992/3	0.113
993/1	0.117
993/2	0.040
994/1	0.061
994/2	0.065
994/3	0.057
994/4	0.069
995/1, 995/4	0.259
995/2	0.158
995/3	0.142
996/1	0.097
996/2	0.097
997/1	0.283
997/2	0.138
998/1	0.182
998/2	0.190
999/1	0.405
999/2	0.737
999/3	0.287
1000/1	0.089
1000/2	0.089
1000/3	0.045
1000/4	0.045
1001/1	0.178
1001/2	0.360
1001/3	0.178
1002/1	0.142
1002/2	0.138
1002/3	0.138
1002/4	0.138
1003	0.348
1004	0.069
1005	0.129
1006/1	0.049
1006/2, 1007	0.158
1008/1	0.101
1008/2	0.069
1008/3	0.101
1008/4	0.134
1009	0.093
1010	0.089
1011	0.332
1012/1	0.312

(1)	(2)	(1)	(2)
1012/2	0.154	1049/1	0.218
1013/1	0.154	1050/1	0.045
1013/2	0.073	1051/1	0.061
1013/3	0.077	1051/2	0.057
1014	0.057	1052/1	0.247
1015	0.061	1052/2	0.121
1016	0.093	1053/1, 1056/1	0.405
1017	0.081	1054	0.138
1018/1	0.158	1055	0.117
1018/2	0.158	1057/1, 1058/1, 1059/1, 1103/1	0.563
1019	0.045		
1020	0.085	1060/1	0.069
1021	0.061	1060/2	0.134
1022/1	0.057	1060/3	0.069
1022/2	0.053	1061	0.154
1023	0.065	1062/1	0.073
1024	0.065	1062/2	0.073
1025	0.146	1063	0.214
1026	0.332	1064	0.109
1027	0.178	1065	0.109
1028	0.134	1066/1	0.125
1029	0.109	1066/2	0.125
1030/1	0.186	1067	0.267
1030/2	0.125	1068	0.085
1030/3	0.065	1069	0.154
1030/4	0.125	1070	0.061
1031	0.162	1071	0.073
1032/1	0.093	1072	0.061
1032/2	0.093	1073	0.065
1032/3	0.194	1080/1	0.049
1033	0.251	1080/2	0.053
1034	0.061	1081	0.105
1035/1, 1036/1	0.093	1082	0.142
1035/2, 1036/2	0.093	1083/1	0.049
1037	0.061	1083/2	0.049
1038	0.117	1084/1	0.158
1039/1	0.279	1084/2	0.049
1039/2	0.279	1094/1	0.065
1040	0.109	1094/2	0.125
1041	0.162	1094/3	0.061
1042	0.105	1095	0.089
1043/1, 1043/2	0.061	1096	0.085
1044/1	0.101	1097, 1098/1	0.145
1045/1	0.045	1098/2	0.150
1046/1, 1047/1	0.073	1099/1	0.239
1048/1	0.113	1099/2	0.243

(1)	(2)
1100	0.376
1101	0.166
1102/1	0.077
1104/1	0.089
1105/1	0.069
1105/2	0.134
1106/1	0.057
1107/1	0.101
1108/1, 1109/1	0.138
1110/1	0.158
1110/2	0.158
1111	0.146
1112	0.146
1113/1	0.308
1113/2	0.202
1113/3	0.101
1114	0.113
1115	0.089
1116/1	0.105
1116/2	0.210
1117/1	0.194
1118/1	0.255
1118/2	0.081
1119	0.182
1120	0.186
1121	0.142
1122/1	0.040
1122/2	0.040
1123/1	0.053
1123/2	0.073
1123/3	0.093
1124	0.210
1125	0.223
1126	0.223
1127	0.263
1128	0.097
1158	0.040
1159/1	0.036
1159/2	0.206
1160/1	0.077
1160/2	0.024
1165	0.352
1166/1	0.057
1166/2	0.053
1167, 1173	0.162
1168, 1169, 1170	0.146
1171	0.057
1172	0.109
1174/1	0.097
1174/2	0.093
1175	0.117
1176	0.053
1177, 1178	0.194
1179	0.117
1180/1	0.057
1180/2	0.053
1181	0.134
1182	0.134
1183	0.109
1184	0.150
1185	0.105
योग 404	53.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन, 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/15/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर छ. ग.

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-मेंड़पार, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
392	0.50
393	1.50
394, 399	1.97
395	2.01
401	0.80
396/1	0.26
396/2	0.80
397	1.15
390, 391	0.50
400	1.20
398	1.31
योग	12.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना डुबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.